संख्या 709 / II–2005–03(13)/05

प्रेषक,

बी0 आर0 टम्टा,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।

लघु सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 31 अगस्त, 2005

विषय : वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोजनेत्तर मदों में धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 803/ल0सि0/गूल अनु0/2005–06 दिनांक 18.07.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु सिंचाई विभाग की गूलों के अनुरक्षण के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल पूर्व निर्मित योजनाओं के अनुरक्षण पर ही किया जाय, एवं केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। खण्डवार/जनपदवार/कार्यवार फॉट की सूचना शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

2– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राविधकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी आवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर पर्चेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम–1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–।। लेखा नियम–1 आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों

क्रमशः.....2

शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितत्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

5– स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

6– कार्यों की गुणवत्ता एवं समय बद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7– अनुरक्षण हेतु योजनाओं का चयन लाभार्थी ग्राम सभा की संस्तुति एवं योजना की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए किया जाय।

8– अनुरक्षण मानकों के अनुरूप किया जायेगा और उसके आगण लोक निर्माण की दरों पर गठित कर उन पर सक्षम तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तथा आवश्यकता से किया जायेगा।

10– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 20–के अन्तर्गत में लेखाशीर्षक 2702–लघु सिंचाई, 03–रख–रखाव, 101–जल टंकी, 0203–निजी लघु सिंचाई योजनायें 29–अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–602/वित्त अनु0–2/05 दिनांक 20 अगस्त, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(बी0आर0 टम्टा)
संयुक्त सचिव

संख्या 709 / II–2005–03(13) / 05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त वित्त अनुभाग–2
3– श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट,अनुभाग, उत्तरॉचल शासन।
4– निजी सचिव, मा0 मंत्री लघु सिंचाई।
5– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
6– समस्त कोषाधिकारी / जिलाधिकारी उत्तरांचल।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय परिसर देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

शासनादेश सं0– 709 / II–2005–03 (13)/2005, देहरादून
दिनांक 31 अगस्त, 2005 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटन की धनराशि लाख रू0 में
1	देहरादून	7.20
2	टेहरी	10.80
3	उत्तरकाशी	7.20
4	पौडी	18.00
5	रूद्रप्रयाग	3.60
6	चमोली	10.80
7	अल्मोड़ा	13.20
8	बागेश्वर	3.60
9	पिथौरागढ़	9.60
10	चम्पावत	5.00
11	नैनीताल	10.00
12	ऊधमसिंह नगर	1.00
	योग	100.00

(रूपये एक करोड़ मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

3108005005